एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विनोद कुमार भगत और ओआरएस

बनाम

जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य

( सिविल अपील सं। 2021 का 6928)

नवंबर 17,2021

[ डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सूर्या कांत और विक्रम नाथ, जेजे]

सेवा कानून: न्यायिक सेवा-उत्तरदाताओं को नियुक्त किया गया था

2002-03 में न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में-उन्हें आरक्षित श्रेणी के याचिकाकर्ताओं की तुलना में योग्यता सूची में अधिक रखा गया था

हालाँकि, श्रेणीकरण सूची आर के तहत प्रदान की गई सीधी भर्ती के लिए रोस्टर लागू करके तैयार की गई थी। 5 जम्मू और कश्मीर आरक्षण नियम, 2005-इसके परिणामस्वरूप आरक्षित श्रेणी के याचिकाकर्ताओं ने सामान्य श्रेणी के उत्तरदाताओं को विस्थापित कर दिया।

श्रेणीकरण सूची-तीसरे और चौथे याचिकाकर्ताओं को श्रेणीकरण सूची में उनकी नियुक्ति के आधार पर उप-न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था-प्रतिवादी ने न्यायिक मजिस्ट्रेटों की श्रेणीकरण सूची को रद्द करने और श्रेणीकरण तैयार करने के निर्देश के लिए रिट याचिका दायर की।

सूची, योग्यता के आधार पर-उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरदाताओं का तर्क था कि आर। 5 2005 के नियमों में से केवल सीधी भर्ती के लिए लागू होंगे और पदोन्नति के उद्देश्य से अंतर वरिष्ठता के निर्धारण के लिए नहीं-रिट याचिका का निपटारा करते समय, उच्च न्यायालय ने अशोक कुमार और अन्य मामलों में अपने पहले के फैसले पर भरोसा किया।

अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य-उच्च न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी श्रेणीकरण सूची को चुनौती देने में योग्यता थी और

श्रेणीकरण सूची में नियुक्ति के आधार पर सिविल न्यायाधीश के पद पर दी गई पदोन्नति-अपील पर आयोजित: उच्च न्यायालय ने कहा था कि अशोक कुमार के मामले में अनुपात उठाए गए सिद्धांत मुद्दे को निपटाने के लिए पर्याप्त होगा-अशोक कुमार के मामले में निर्णय का संदर्भ पूरी तरह से अनावश्यक था क्योंकि उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा उस निर्णय के आधार पर कोई निवेदन नहीं किया गया था-हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अशोक कुमार के मामले में अनुपात से स्वतंत्र श्रेणीकरण सूची की

वैधता का विश्लेषण भी किया-उच्च न्यायालय का निर्णय दोनों पहलुओं पर तर्क को जोड़ता प्रतीत होता है-उच्च न्यायालय के लिए या उस मामले के लिए, अशोक कुमार के मामले में निर्णय पर भरोसा करना आवश्यक नहीं था, क्योंकि इस तरह के आधार का आग्रह नहीं किया गया था।

जम्मू और कश्मीर राज्य

रिट कार्यवाही या उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुतियों के दौरान-विवादित निर्णय और उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया गया-रिट याचिका को नए सिरे से निर्णय के लिए उच्च न्यायालय की फाइल में बहाल कर दिया गया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.6928

ए. के. गंगुली, ए. मारियारपुथम, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सी. आजाद, अवनीश अर्पुथम, सुश्री अनुराधा अर्पुथम, मेसर्स अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

अंकुर तलवार, सुश्री शशि जुनेजा, सत्यजीत कुमार, सुश्री तरुणा अर्धनदुमौली प्रसाद, सुश्री कानू अग्रवाल, आदित्य मनुबरवाला, पार्थ अवस्थी, सुश्री अवनी शर्मा, सुश्री मनीषा अंबवानी, अनुपम रैना, सुश्री सुवेनी भगत, सुनंदो राहा, दीपक गोयल, ऋत्विक पांडा, सुश्री निखार बेरी, सुश्री अंशु मलिक, अर्जुन कृष्णन, सुश्री प्रेरणा मेहता, राम शंकर, सुश्री सुजाता बागड़ी, सुश्री जी. चित्रकला, जी. जय सिंह, अनिव वेद शर्मा, आर. वी. कामेश्वरन, गोपाल बलवंत साठे, अमित अरोड़ा, मोहम्मद। आसिफ अली, अजय कुमार, सुश्री ऋचा पांडे, बी. एल. शिवहरे, यूसुफ, बी. कृष्ण प्रसाद, सुश्री आस्था शर्मा, सुश्री मंटिका हरियानी, साहिल टागोत्रा, कौस्तव सोम, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

आदेश

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील 27 नवंबर को जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय (जम्मू में) की एक खंड पीठ के फैसले से उत्पन्न होती है। 2015 .

3. उत्तरदाता, जो उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता हैं, जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए।

2002 और उन्हें 2002-03 में न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ताओं की तुलना में उन्हें योग्यता सूची में अधिक रखा गया था। हालाँकि, सीधी भर्ती [2021] 12 एस. सी. आर. के लिए रोस्टर लागू करके श्रेणीकरण सूची तैयार की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जैसा कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण नियम, 2005 के नियम 5 के तहत प्रदान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप आरक्षित श्रेणी के याचिकाकर्ताओं को विस्थापित होना पड़ा श्रेणीकरण सूची में सामान्य श्रेणी के उत्तरदाता। तीसरे और चौथे याचिकाकर्ताओं को श्रेणीकरण सूची में उनकी नियुक्ति के आधार पर उप-न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेटों की श्रेणीकरण सूची को रद्द करने और योग्यता के आधार पर श्रेणीकरण सूची तैयार करने के निर्देश के लिए एक रिट याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थियों का तर्क था कि 2005 के नियमों का नियम 5 केवल सीधी भर्ती के लिए लागू होगा न कि पदोन्नति के उद्देश्य से अंतर वरिष्ठता के निर्धारण के लिए। इस उद्देश्य के लिए संदर्भ भी दिया गया था।

2005 के नियमों के नियम 31 और जम्मू और कश्मीर (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1956 के नियम 24 तक।

4. उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका का निपटारा करते हुए, खंड पीठ ने अशोक कुमार मामले में अपने पहले के फैसले पर भरोसा किया

और अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य (संबंधित मामलों के साथ एसएलपी संख्या 1290/2014)। संदर्भ की सुविधा के लिए, इस पहलू पर उच्च न्यायालय का निष्कर्ष नीचे निकाला गया है:

" 16. वर्तमान याचिका में उठाया गया मुद्दा स्पष्ट रूप से अशोक कुमार शर्मा के मामले में खंड पीठ द्वारा दिए गए फैसले के अंतर्गत आता है। हालाँकि याचिकाकर्ता श्रेणीकरण सूची और उसके परिणामस्वरूप पदोन्नति आदेश पर इस आधार पर हमला नहीं करते हैं कि ये संवैधानिक रूप से अनुमत नहीं हैं और इसलिए अधिकार से बाहर हैं। संविधान ने अभी तक इंद्र साहनी के मामले में निर्धारित और अशोक शर्मा के मामले में जिस कानून पर भरोसा किया गया है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यह आरक्षण नियमों के संवैधानिक रूप से स्पर्श करता है, जिस पर विवादित श्रेणीकरण सूची आधारित है और इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेशों की वैधता जो निजी उत्तरदाताओं को श्रेणीकरण सूची में इस स्थान के आधार पर बढ़ावा देती है। प्रश्नगत श्रेणीकरण सूची और उसके आधार पर निजी उत्तरदाताओं के पक्ष में दिए गए पदोन्नति आदेश

आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, इसलिए, उत्तरदायी है

इस जमीन पर अकेले रखें। इस तरह से निकाला गया निष्कर्ष, आम तौर पर, मामले को सुलझा लेता है। हालाँकि, यह होगा, यदि आवश्यक नहीं है,

लेकिन याचिका में उठाए गए मुद्दों से निपटने के लिए उपयुक्त, पदोन्नति योजना में आरक्षण की संवैधानिकता के अलावा।

5. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि अशोक में पहले का निर्णय

कुमार का मामला कार्यवाही को नियंत्रित करेगा, उच्च न्यायालय ने निपटा

2005 नियम विनोद कुमार भागत बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य

पदोन्नति में आरक्षण की संवैधानिकता के अलावा अन्य मुद्दे तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य में। आखिरकार, अपने फैसले से,

उच्च न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय द्वारा 1 जून 2010 को जारी श्रेणीकरण सूची और दी गई पदोन्नति को चुनौती देने में योग्यता थी श्रेणीकरण सूची में नियुक्ति के आधार पर सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के पद पर। उच्च न्यायालय के कार्यकारी निर्देश हैं -

निर्णय के पैराग्राफ 25 और 26 में निहित, जो निकाले गए हैं

नीचे:

" 25 ऊपर चर्चा किए गए कारणों से, हम चुनौती में योग्यता पाते हैं प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिनांकित 01.06.2010 श्रेणीकरण सूची के रूप में जारी की गई

प्रतिवादी 3 और 4 को सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ) के रूप में पदोन्नत करने का भी आदेश दें।

प्रभाग) श्रेणीकरण सूची में उनके स्थान के आधार पर।

विवादित श्रेणीकरण सूची के आधार पर पारित ऐसे अन्य आदेशों को चुनौती, जिसमें निजी उत्तरदाताओं को अनुमति दी गई है,

सफल भी होता है। हमें बताया गया है कि याचिकाकर्ता 1 से 10 पहले से ही सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के रूप में पदोन्नत हैं और इसलिए उत्तरदाता भी हैं 3 12 और 14 और 15 तक। 1 से 10 तक याचिकाकर्ताओं का हित है -

इसलिए, में उचित स्थान पर उनके स्थान तक सीमित

सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) की वरिष्ठता सूची

प्रतिवादी संख्या 2.

26. याचिकाकर्ता 11 से 16 और मिस मीर अफरोज (प्रतिनियुक्ति पर) अब्दुल

5 , 7 एस. नं. में 12 तक। 32 , 37 , 31 , 33 , 34 , 41 , 38 , 30 योग्यता सूची में, और पहले से ही सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) के रूप में पदोन्नत उच्च न्यायालय के आदेश संख्या 252 सहित विभिन्न उच्च न्यायालय के आदेश

दिनांकित 04.07.2015। याचिकाकर्ता 11 से 16 और मेसर्स। मीर अफरोज (ऑन) प्रतिनियुक्ति) अब्दुल कयूम मीर और मंजूर अहमद जरगर,

इसलिए, सिविल के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार था

न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) उत्तरदाता 4,5,7 से 12 से आगे। याचिकाकर्ताओं के दावे की अनदेखी करके और समझौता करने में विफलता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 उनके दावे पर विचार करने से उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है

संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत गारंटी। हालांकि, एम/एस। मीर अफरोज (प्रतिनियुक्ति पर) अब्दुल कयूम मीर और मंजूर अहमद

जरगर, वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता के रूप में शामिल नहीं हुए हैं। याचिकाकर्ताओं ने उन आदेशों पर सवाल नहीं उठाया है जिनके तहत निजी उत्तरदाता 4,5,

7 उच्च न्यायालय के आदेश संख्या 252 दिनांकित [2021] 12 एस. सी. आर. सहित 12 को पदोन्नत किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

04.07.2015 . उत्तरदाता 4,5,7 से 12 संभवतः काफी समय से सिविल अधीनस्थ न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे पास आज की तारीख में खाली पड़े सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) के पदों के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है ताकि यह जांच की जा सके कि क्या याचिकाकर्ता 11 से 16 और मेसर्स। मीर अफरोज (प्रतिनियुक्ति पर) अब्दुल कयूम मीर और मंजूर अहमद जरगर को सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ) के रूप में पदोन्नति के लिए विचार करने का निर्देश दिया गया

आदेश (ओं) जिसके द्वारा प्रतिवादी 4,5,7 से 12 को सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) के रूप में पदोन्नत किया गया है, याचिकाकर्ता 11 से 16 पर विचार करने के लिए आवश्यक सीमा तक, आज से तीन महीने की समाप्ति पर अलग रखा जाएगा और उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति। उस पर

किसी भी तरह से अभ्यास पूरा करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2

योग्यता के अनुसार वरिष्ठता सूची को फिर से तैयार करें और अधिसूचित करें।

6. शुरुआत में, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उच्च न्यायालय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री गौरव पचनंदा ने कहा है कि

न्यायालय खंड पीठ के निर्णय की शुद्धता को स्वीकार करता है क्योंकि उसने पैराग्राफ 16 में टिप्पणियों से स्वतंत्र, श्रेणीकरण सूची में दुर्बलता पाई है।

7. अपीलार्थियों की ओर से वरिष्ठ वकील श्री ए. मारियारपुथम पेश हुए और वरिष्ठ वकील श्री संजय हेगड़े पेश हुए।

उत्तरदाताओं की ओर से जो उच्च न्यायालय के समक्ष मूल याचिकाकर्ता थे।

8. श्री संजय हेगड़े ने कहा है कि उच्च न्यायालय के लिए उठाए गए चुनौती के विषय पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था

अशोक कुमार के मामले में अनुपात लागू करके उच्च न्यायालय के समक्ष, विनोद कुमार भागत बनाम।

जम्मू और कश्मीर राज्य

क्योंकि यह चुनौती का दायरा बिल्कुल नहीं बना। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि यह पहलू याचिका या प्रस्तुतियों का विषय नहीं है।

9. उच्च न्यायालय ने कहा था कि अशोक कुमार के मामले में अनुपात उठाए गए मुख्य मुद्दे को निपटाने के लिए पर्याप्त होगा। अशोक कुमार शर्मा के मामले में निर्णय का संदर्भ पूरी तरह से अनावश्यक था। क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष उस निर्णय के आधार पर कोई निवेदन नहीं किया गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अशोक कुमार के मामले में अनुपात से स्वतंत्र श्रेणीकरण सूची की वैधता का विश्लेषण भी किया। हालाँकि, उच्च न्यायालय का निर्णय दोनों पहलुओं पर तर्क को आपस में जोड़ता हुआ प्रतीत होता है। स्वतंत्र आधारों के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, जिनके आधार पर श्रेणीकरण सूची में त्रुटि की गई है, हमारा विचार है कि मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेजना उचित होगा। उच्च न्यायालय के लिए या उस मामले के लिए, अशोक कुमार के मामले में निर्णय पर भरोसा करना उचित नहीं था, क्योंकि इस तरह के आधार का आग्रह न तो रिट कार्यवाही में किया गया था और न ही उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुतियों के दौरान किया गया था। नतीजतन और उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि विवादित निर्णय को दरकिनार करना उचित होगा।

और उच्च न्यायालय का आदेश और नए सिरे से निर्धारण के लिए उच्च न्यायालय को कार्यवाही प्रेषित करना। हम स्पष्ट करते हैं कि विवादित फैसले के पैराग्राफ 16 में जिन आधारों को शामिल किया गया है, उन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष मूल याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए जाने की मांग नहीं की गई है। 10.

उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या श्रेणीकरण सूची के उद्देश्य के लिए वरिष्ठता हो सकती है

रोस्टर अंकों के आधार पर स्थापित और यह मुद्दा उस दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा जो उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी स्थिति पर लिया जाता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गौरव पचनंदा ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने इस विचार को स्वीकार कर लिया है कि श्रेणीकरण सूची अमान्य है। उच्च न्यायालय अपने प्रशासनिक पक्ष पर मामले के इस पहलू पर विचारशील निर्णय लेने से अछूता नहीं है।

11. नतीजतन, 27 नवंबर 2015 के उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश को दरकिनार कर दिया गया है। रिट याचिका को नए सिरे से निर्णय के लिए उच्च न्यायालय की फाइल में पुनर्स्थापित किया जाता है। कार्यवाही के लंबित होने को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर याचिका का रिमांड पर निपटारा किया जाए। इस बीच, उच्च न्यायालय के निर्णय के लंबित रहने तक, यह उचित होगा यदि





2003 के बैच के लिए श्रेणीकरण सूची के आधार पर परिणामी निर्देश स्थगन में रखे गए हैं ताकि उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के अंतिम परिणाम का पालन किया जा सके। उच्च न्यायालय प्रशासनिक पक्ष से इस बीच निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

12. अपील का तदनुसार उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है।

13. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपील का

निपटारा ओ